

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नाथूलाल जाट बनाम विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी आमेर) (जीसीएमएस नं. 2020/00787) 900/20	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलान्त द्वारा विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, आमेर) के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 08.01.1999 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के संपरिवर्तन सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रथम अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा हो प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की हस्तगत न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने पर अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नहीं होने से अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्त को वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।</p>	
	<p>(डॉ. समित शर्मा) संभासीय अधिकारी जयपुर</p>	